2021/155

अशोक कुमार बनाम कन्हैया लाल

अपील संख्या : 2021/ 155

06.09.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा में स्थित है । आराजी के सम्बन्ध में एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था । मुकदमा लडने के लिए रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 7 को रूपयों की आवश्यकता थी । उनके द्वारा 1.98 हैक्टर आराजी 75 हजार रूपये प्रतिबीघा की दर से दिनांक 10.04.1997 को विक्रय का इकरार कर अपीलान्ट से अग्रिम राशि प्राप्त की । मुकदमे का निर्णय दिनांक 29.06.2010 को हो गया परन्तु अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करवाया । इस कारण अपीलान्ट ने संविदा की विशिष्ट अनुपालना हेतु जिला न्यायाधीश में एक दावा पेश किया है जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्टगण ने षडयंत्र करके दिनांक 20.04.2021 को डिक्री करवा लिया है जबकि अपीलान्ट के इकरार की पालना हेतु प्रकरण लम्बित है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 01 को उसमें पक्षकार नहीं बना सकता क्योंकि इकरारनामा रेस्पोडेन्ट कम 01 से नहीं किया गया है । पूर्व में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया था उसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है फिर भी नये जवाबदावे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 7 ने इकबालिया जवाब दिनांक 20.02.2020 को पेश किया है जबकि अपीलान्ट के दावे में रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 4 के द्वारा दिनांक 16.12.2020 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है और रेस्पोडेन्ट कम 5 लगायत 7 ने दिनांक 29.01.2021 को जवाबदावा पेश किया है और दोनों ने ही आराजी को पुश्तैनी स्वीकार किया है और रेस्पोडेन्ट कम 01 का कोई सम्बन्ध वादग्रस्त आराजी से नहीं बताया है । अपीलान्ट के हित परीक्षण न्यायलाय के इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं इसलिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे । जहॉ तक अपील पेश होने में विलम्ब का प्रश्न है अपीलान्ट को कन्हैया लाल के वारिसों की जानकारी प्राप्त करने में समय लगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 665/2021, SMW(C)3/2020 में कोराना काल में विलम्ब के शमन हेतु आदेश पारित किये गये हैं । विलम्ब का शमन कर अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जावे । रेस्पोडेन्ट कम 1/2 लगायत 1/5 की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा स्पेसिफिक

परफोरमेन्स का दावा सिविल न्यायालय में किया गया जो जैरकार है । सन् 1997 में विक्रय के इकरारनामे से आराजी को क्रय करना बताते हैं जबकि सन् 1997 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 7 वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं थे उन्हें इस आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था । अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उन्हें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वो राजस्व न्यायालय के इस निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं हैं । इस प्रकरण में वो अजनबी हैं जिनको अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । धारा 96 सीपीसी और धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रारम्भिक रूप से किया जाना आवश्यक है । रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार हैं उनको बेचान करने से नहीं रोका जा सकता । अपीलान्ट को अपील पेश करने का काई अधिकार नहीं है । इस कारण उन्हें स्थगन की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । विक्रय के लिए इकरार से अपीलान्ट को कृषि भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपील अपीलान्ट भी खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 332, आरआरटी 2021 (1) पेज 19, आरआरटी 2021 (1) पेज 204, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 206, आरबीजे 2016 पेज 449, डीएनजे 2015 (4) पेज 1694, डीएनजे 2011 (एससी) पेज 1058 उद्धरत की ।

रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 7 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण की कूटरचित मुख्तारनामे के आधार पर जो जवाबदावा सिविल न्यायालय में पेश किया है उसको रिकॉर्ड से हटाकर रेस्पोडेन्टगण को जवाब पेश करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में पेश किया जा चुका है जो जैरकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश करने का अधिकर उसी को दिया जा सकता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार हक घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी हो । अपीलान्ट स्वयं के पक्ष में अपंजीकृत विक्रय के इकरार का कथन करते हैं । विक्रय के इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय के द्वारा उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । तद्नुसार धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है ।

हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण के द्वारा यह कथन करते हुए अपील पेश की गई है कि सन् 1997 में उनके पक्ष में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 7 के द्वारा एक विक्रय के लिए इकरार किया गया है और कुछ धनराशि प्राप्त की थी । इस विक्रय के इकरार के आधार पर अपीलान्टगण ने विशिष्ट अनुपालना का दावा न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश कर रख है जो जैरकार है । अपीलान्ट के द्वारा जो इकरारनामे की फोटो प्रति अपील के साथ पेश की गई है उसका अवलोकन किया गया। यह अपंजीकृत है। अपंजीकृत विक्रय के इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय में दावा मेन्टेनेबल नहीं है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

द्वारा उद्वर नजीरें आरआरटी 2019 (1) पेज 332, आरआरटी 2021 (1) पेज 19, आरआरटी 2021 (1) पेज 204, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 206, आरबीजे 2016 पेज 449, डीएनजे 2011 (एससी) पेज 1058 यहॉ चस्पा होती हैं ।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश नजीरों के मध्यनजर अपंजीकृत विक्रय के इकरार के आधार पर अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के इस अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं माने जा सकते । अपीलान्ट ने विशिष्ट अनुपालना का प्रकरण न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा में पेश किया है जो जैरकार है। उसमें वो अपने अधिकार एवं स्वत्व को तय करा सकते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं तदनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जावे एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा